



## प्रेस नोट

थाना - साइबर क्राइम

दिनांक 24-06-2024

- थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड/ ठगी कर खातों से निकलने वाले रुपये वापस कराकर पीड़ित/ पीड़िताओं के चेहरे पर लौटाई मुस्कान ।
- प्रचलित वर्ष-2024 में अब तक साइबर ठगों द्वारा विभिन्न माध्यमों से 28 पीड़ितों के साथ की गई ऑनलाइन ठगी में करीब 21,01,725/- रुपये कराये वापस ।

### संक्षिप्त विवरण:-

प्रचलित वर्ष-2024 में पीड़ित/पीड़िताओं द्वारा जनपद के विभिन्न थानों/थाना साइबर क्राइम पर ऑनलाइन फ्रॉड/झांसा/ठगी होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निस्तारण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।



### कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जनपद में धोखाधड़ी/साइबर सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा व्यापक स्तर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न बैंको/पेमेन्ट गेटवे/मर्चेन्ट से सम्पर्क कर प्रचलित वर्ष-2024 (दिनांक 01.01.2024 से 20.06.2024 तक) में साइबर ठगी के शिकार हुए 28 पीड़ितों के 21,01,725/- रुपये वापस कराये गये हैं ।

पीड़ित/पीड़िताओं की धनराशि वापस होने पर उनके द्वारा हापुड़ पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है ।

## साइबर फ्राड से बचाव के तरीके

- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- ग्रुप पर आने वाले विज्ञापनों पर भरोसा न करें।
- वर्क फ्राम होम के विज्ञापन देखकर लालच में न पड़ें।
- टेलीग्राम टास्क फ्राड से बचे।
- क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने आदि को लेकर आने वाली कॉल पर कोई भी डिटेल एवं ओटीपी शेयर न करें।
- किसी भी सोशल साइट पर बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी ग्रुप (टेलीग्राम व व्हाट्सअप आदि) से न जुड़े।
- किसी के कहने पर कोई रिमोट एक्सेस एप जैसे एनीडेस्क/टीम व्यूबर आदि डाउनलोड न करें।
- सोशल मीडिया से सम्बन्धित ऐप्लीकेशन में सुरक्षा हेतु टू-स्टेप आथेन्टिकेशन का हमेशा प्रयोग करें।
- किसी भी कस्टमर केयर नम्बर को गूगल पर सर्च करते समय उसकी सही से जांच करने के बाद ही बात करें।
- किसी भी अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसकी सही जानकारी/सत्यता की जांच करें।
- जॉब, लोन, टॉवर लगाने एवं लाटरी आदि के नाम पर यदि कोई पैसों की मांग करता है तो आपके साथ फ्राड हो सकता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी अनजान व्यक्ति से चैट/वीडियो कॉल करने से बचें।

**साइबर वित्तीय फ्राड होने पर तत्काल [हेल्पलाइन नम्बर 1930](tel:1930) पर कॉल करें या अन्य कोई भी साइबर फ्राड होने पर वेबसाइट [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराये।**